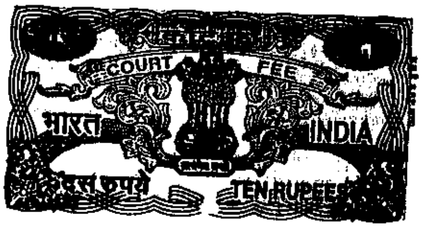

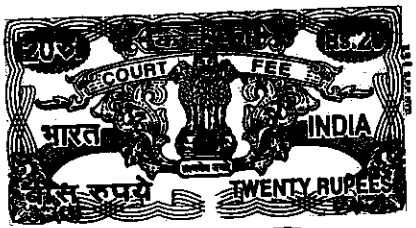

1 (212)

न्यायालय :- श्रीमान राजस्वमण्डल महोदय, मध्यप्रदेश ग्वालियर

R 688-I/17

प्र.क्र. /2017 निगरानी

1- देवेन्द्र

2- दिनेश

3- धर्मेन्द्र

पुत्रगण बाबूलाल जाति ब्राम्हण निवासी

ग्राम अरोंद तहसील विजयपुर जिला श्योपुर

।म.प्र.। ----- आवेदकगण

बनाम

म.प्र. शासन ----- अनावेदक

श्री विनोद श्रीवास्तव द्वारा आज दि. 20-2-2017 प्रस्तुत

20.2.17

निगरानी बिरूद्ध आदेश दिनांक 9-11-2016

न्यायालय श्रीमान अपर-आयुक्त महोदय चम्बल

संभाग मुरैना केप्र.क्र. 6/15-16 स्व. निगरानी अन्तर्गत

धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 ।

श्रीमान जी,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्नलिखित प्रस्तुत है -

1- यहकि श्रीमान न्यायालय अपर-आयुक्त महोदय द्वारा कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा पत्र क्रमांक /रीडर/2015/93-24/रि/प-ब-क्रमांक 115/श्योपुर दिनांक 21-12-15 से प्रतिवेदित किया गया कि कलेक्टर

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 688/एक/17 जिला– श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
27.06.17	आवेदक के अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 06/स्व0 निगरानी/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 9.11.2016 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। निगरानी के साथ धारा–5 अधिनियम का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है। 2–आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी 3 माह के विलंब से प्रस्तुत की गइ हैं आवेदक द्वारा म्याद अधिनियम की धारा –5 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन में ऐसे कोई ठोस आधार नहीं दर्शाये गये हैं जिसमें विलंब मांफ किया जा सके, समयाविधि बाह्य प्रकरणों में दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्ट एवं समाधानकारक कारण दर्शाया जाना चाहिये। आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक द्वारा विलंब के संबंध में कोई ठोस व स्पष्ट कारण नहीं दर्शा सके है। अतः निगरानी अवधि बाह्य मान्य करते हुये अग्राह् की जाती है। (एस0 एस0 अली) सदस्य	